



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 28 जून, 2022

थाना छतारी

थाना छतारी पुलिस द्वारा जिला स्तर का माफिया एवं टाप-10 अपराधी गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.06.2022 को थाना छतारी पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखरेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर टाप-10 अपराधी राजू उर्फ राजुद्दीन को गोधा बम्बा पुलिया के पास से समय करीब प्रातः 06.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राजू उर्फ राजुद्दीन पुत्र स्व० खैर मौहम्मद निवासी ग्राम पीतमपुर थाना छतारी जिला बुलन्दशहर

अभियुक्त राजू उर्फ राजुद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 854/2018 धारा 356 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
2. मु०अ०सं० 1267/2018 धारा 356 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
3. मु०अ०सं० 1305/2018 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
4. मु०अ०सं० 213/2019 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
5. मु०अ०सं० 469/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
6. मु०अ०सं० 471/2019 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
7. मु०अ०सं० 460/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
8. मु०अ०सं० 394/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर
9. मु०अ०सं० 243/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर
10. मु०अ०सं० 206/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना छतारी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राहुल चौधरी थानाध्यक्ष छतारी
2. उ०नि० योगेश कुमार, का० रोहित कुमार, का० रामकुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर